भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 180

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण से संबंधित आंकड़े

*180. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) - कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण (रफ्तार) के अंतर्गत संस्वीकृत और संवितरित धनराशि के विस्तृत आंकड़े क्या हैं;

(ख) इसी अवधि के दौरान आरकेवीवाई-रफ्तार के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या के विस्तृत आंकड़े क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आय सृजन संबंधी कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करते हुए किसानों के जोखिम को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण संबंधी पहल की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण से संबंधित आंकड़े" के संबंध में दिनांक 11.03.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 180 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में विवरण

(क): वर्ष 2021-22 तक, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ़्तार) को डीपीआर परियोजनाओं के लिए एक स्टैंडअलोन योजना के रूप में लागू किया गया था। वर्ष 2022-23 से, 7 अन्य योजनाएं अर्थात् प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी), फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम), सॉइल हेल्थ और उर्वरता (एसएचएंडएफ), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), कृषि वानिकी और फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) सहित कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) को आरकेवीवाई के डीपीआर घटक के साथ विलय कर दिया गया। अब इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) कर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत आबंटन और रिलीज का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	आवंटन	रिलीज
2021-22	3712.44	1729.11
2022-23	10433.00	5273.33
2023-24	7150.35	5716.54

(ख): आरकेवीवाई-रफ़्तार व्यक्तियों के साथ-साथ समुदाय और संस्थागत परिसंपत्तियों का भी समर्थन करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभार्थियों का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग): पीएम-आरकेवीवाई के तहत, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी) लाभार्थियों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल स्थायी कृषि पद्धतियां उपलब्ध कराने के लिए 30,000 रुपये प्रति वर्ष की यूनिट लागत पर एकीकृत कृषि प्रणाली के लिए सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, रोपण, मधुमक्खी पालन आदि जैसी संबद्ध गतिविधियों के साथ मिश्रित फसल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे कृषि लाभ को अधिकतम करने और अपनी आय बढ़ाने में सक्षम हो सकें।

(घ) एवं (ड.): पिछले 3 वर्षों में, पीएम-आरकेवीवाई के तहत डीपीआर आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई, जिसका विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। इन पहलों का फोकस किसानों और ग्रामीण युवाओं के बीच उत्पादकता, प्रौद्योगिकी अपनाने और उद्यमिता में सुधार लाने पर है।

इसके अलावा, प्रत्येक घटक योजना में छोटे प्रशिक्षण शामिल हैं जैसे कि कृषि मशीनीकरण/सॉइल हेल्थ कार्ड/जैविक खेती गतिविधियाँ/सूक्ष्म सिंचाई/गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन आदि पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण।

लो.स.ता.प्र.सं.180

अनुबंध-I

पिछले 3 वर्षों में पीएम-आरकेवीवाई के तहत डीपीआर आधारित क्षमता निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**वित्तीय वर्ष**	**परियोजनाओं की संख्या**	**कुल लागत (करोड़ में)**
1	असम	2023-24	1	0.58
2	हरियाणा	2021-22	1	2.00
		2022-23	2	4.49
		2023-24	2	1.60
3	महाराष्ट्र	2022-23	1	11.32
4	राजस्थान	2023-24	1	1.85
5	तमिलनाडु	2021-22	1	3.20
6	उत्तर प्रदेश	2021-22	3	2.87
7	पश्चिम बंगाल	2021-22	1	1.01
		2022-23	1	4.04
		2023-24	1	2.16
	कुल		**15**	**35.12**

*****